HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 866/2024

Smt. Bhuri Devi W/o Prahlad, Aged about 43 Years, R/o Village Syavta, Post Kanwada, Tehsil Dooni, Distt. Tonk (Raj.).

----Claimant/Appellant

Versus

1. Mukesh S/o Ratiram, R/o Village Aakodiya, Police Station Ghad, Distt. Tonk (Raj.) Driver of Tractor No. RJ34-RA-4210.
2. Chandmal S/o Chhotulal, R/o Village Satwada, Police Station Nagarfort, Distt. Tonk (Raj.). Owner of Tractor No. RJ34-RA-4210.
3. Shyamlal S/o Hajarilal R/o Sindhupura (Suragpura), Tehsil Sapotara, Distt. Karoli (Raj.)- 322218.
4. New India Assurance Company Limited, First Floor, 2KH-6, Vigyan Nagar, Jhalawd Road, Kota. Insurance Company of Tractor No. RJ34-RA-4210.

----Non-Claimants/Respondents

For Appellant(s)	:	Mr. Sandeep Jain, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Ravindra Kumar Tomar, Adv. (For Insurance Company)

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR

Judgment

06/05/2026

1. अपीलार्थिया भूरी देवी द्वारा यह अपील धारा 173 मोटर वाहन अधिनियम–1988 के तहत न्यायालय न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण टोंक (जिसे आगे 'विद्वान अधिकरण' के नाम से संबोधित किया जाएगा) द्वारा क्लेम याचिका संख्या–175/2020, भूरी देवी बनाम मुकेश मीणा व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 30.10.2023 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. अपीलार्थिया भूरी देवी द्वारा विद्वान अधिकरण के समक्ष, स्वयं के मोटर वाहन दुर्घटना में आहत हो जाने के फलस्वरूप कुल 30,00,000/– रुपये क्लेम प्राप्त करने हेतु क्लेम याचिका प्रस्तुत की गयी थी। विद्वान

अधिकरण द्वारा उक्त क्लेम याचिका में अपीलार्थिया को कुल 2,77,106/– रुपये की क्षतिपूर्ति राशि मय ब्याज 7.5 प्रतिशत सालाना की दर से दिलवाई गयी है। विद्वान अधिकरण के उक्त आक्षेपित निर्णय से व्यथित होकर हस्तगत अपील, अपीलार्थिया की ओर से क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

3. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थिया का तर्क रहा कि विद्वान अधिकरण द्वारा वक्त घटना अपीलार्थिया की मासिक आय 6,390/– रूपये निर्धारित की जाकर त्रुटि कारित की है, जबकि अपीलार्थिया वक्त घटना खेती, पशुपालन व दुध उत्पादन का कार्य कर 10,000/– रूपये मासिक आय अर्जित करती थी। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थिया का यह भी तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थिया को क्षतिपूर्ति राशि पर भविष्य में होने वाली आय वृद्धि बाबत भी कोई राशि नहीं दिलवाई गई है। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थिया का यह भी तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में तथा भविष्य में होने वाली सुख–सुविधा की कमी के मद में समुचित राशि नहीं दिलवाई है तथा अन्य मदों में भी अत्यधिक कम राशि दिलवाई गयी है, जिनमें बढ़ोतरी की जावे। अतः अपीलार्थिया की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने की प्रार्थना की गयी।

4. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी बीमा कम्पनी की ओर से अपीलार्थिया के उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए विद्वान अधिकरण द्वारा पारित किये गये निर्णय की पुष्टि किये जाने तथा अपीलार्थिया की ओर से संस्थित की गयी अपील को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

5. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. हस्तगत मामले की दुर्घटना में अपीलार्थिया को कारित हुई चोटों के फलस्वरूप उसके शरीर पर कुल 12 प्रतिशत की स्थाई निर्योग्यता आना पाया गया है, जैसा कि स्थाई निर्योग्यता प्रमाण पत्र प्रदर्श–17 के अवलोकन से स्पष्ट है। मोटर दुर्घटना में आहत व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति दिलवाये जाने के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक दृष्टांत **Anant Son of Sidheswar Dukre Vs. Pratap son of Zhampannappa**

Lamzane & Anr. Reported in (2018) 9 Supreme Court Cases 450, में सिद्धान्त प्रतिपादित किया है जो निम्न प्रकार से है :–

> "12. In case of motor accidents leading to injuries and disablements, it is a well settled principle that a person must not only be compensated for his physical injury, but also for the non-pecuniary losses which he has suffered due to the injury. The claimant is entitled to be compensated for his inability to lead a full life, and enjoy those things and amenities which he would have enjoyed, but for the injuries."
>
> "13. The purpose of compensation under the Motor Vehicles Act is to fully and adequately restore the aggrieved to the position prior to the accident. This Court in Yadava Kumar v. National Insurance Co. Ltd. explained "just compensation" in the following words:"
>
> "15. It goes without saying that in matters of determination of compensation both the tribunal and the court are statutorily charged with a responsibility of fixing a "just compensation". It is obviously true that determination of a just compensation cannot be equated to a bonanza. At the same time the concept of "just compensation" obviously suggests application of fair and equitable principles and a reasonable approach on the part of the tribunals and courts. This reasonableness on the part of the tribunal and court must be on a large peripheral field."

7. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि मामले की घटना दिनांक 11.02.2019 की बताई गयी है तथा वक्त घटना अपीलार्थिया को 40 वर्ष की आयु का होना बताते हुए खेती, पशुपालन व दुध उत्पादन का कार्य करके 10,000/– रूपये मासिक आय अर्जित करना बताया गया है। किन्तु अपनी आय के संबंध में अपीलार्थिया की ओर से विद्वान अधिकरण के समक्ष कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। इन परिस्थितियों में विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थिया को वक्त घटना अकुशल श्रमिक होना मानते हुए उसकी मासिक आय 213/– रूपये प्रतिदिन की दर से 6,390/– रुपये

निर्धारित की गई है। वक्त घटना अपीलार्थिया गृहिणी थी, जो खेती, पशुपालन व दूध बेचने के व्यवसाय के अतिरिक्त घर के घरेलू काम काज करती थी, इसलिए घरेलू काम काज करने वाली महिला स्वयं के कार्यों के अतिरिक्त अपने परिवार के लोगों की जिम्मेदारियों का भी निर्वहन करती है। इस कारण अपीलार्थिया को कुशल श्रमिक की श्रेणी में रखा जाना न्यायोचित है। घटना दिनांक 11.02.2019 की होना जाहिर है। घटना के दो माह पश्चात दिनांक 01.05.2019 को राजस्थान राज्य में वर्ष 2019 की न्यूनतम मजदूरी की दर निर्धारित की गई थी। अतः उक्त नवीन दरों के आधार पर वक्त घटना कुशल श्रमिक की दैनिक आय 249/– रुपये, तद्नुसार मासिक आय 7,470/– रूपये निर्धारित किया जाना हम उचित समझते है। विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थिया की निर्धारित मासिक आय में भविष्य में होने वाली आय की बढ़ोतरी नहीं की गयी है। विद्वान अधिकरण द्वारा वक्त घटना अपीलार्थिया की आयु 45 वर्ष निर्धारित की गई है। ऐसी स्थिति में **नेशनल ईंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी व अन्यः रिपोर्टेड इन (2017) 16 एस.सी.सी. 680** में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार अपीलार्थिया की आयु को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त निर्धारित मासिक आय 7,470/– रुपये पर 25 प्रतिशत की भविष्य–वृद्धि किया जाना अपेक्षित है। 7,470/– रुपये का 25 प्रतिशत 1,868/– रुपये होता है। उक्त 40 प्रतिशत राशि को अपीलार्थिया की निर्धारित मासिक आय में जोड़े जाने के उपरांत अपीलार्थिया की कुल मासिक आय 9,338/– रुपये होती है, जो क्षतिपूर्ति के निर्धारण का आधार रहेगी।

8. हस्तगत दुर्घटना में अपीलार्थिया के ''हिप बोन'' में फ्रैक्चर होना तथा सिर, पैर व छाती पर भी चोटें कारित होना जाहिर है। जिनके सामूहिक प्रभाव से अपीलार्थिया के शरीर में कुल 12 प्रतिशत स्थायी निर्योग्यता आना पाया गया है। विद्वान अधिकरण ने अपीलार्थिया को भविष्य में होने वाली आय की क्षति के मद में 12 प्रतिशत की कमी होना माना है। अतः हम भी अपीलार्थिया को भविष्य में होने वाली आय में 12 प्रतिशत की कमी होना प्रमाणित पाते हैं। तद्नुसार अपीलार्थिया की मासिक आय 9,338/– रुपये का 12 प्रतिशत 1,121/– रुपये होती है, जो अपीलार्थिया को भविष्य में होने वाली आय की

मासिक क्षति है। वक्त घटना अपीलार्थिया की आयु 45 वर्ष होना जाहिर है। ऐसी स्थिति में **सरला वर्मा व अन्य बनाम देहली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन व अन्य** रिपोर्टेड इन **(2009) 6 एस.सी.सी. 121** तथा **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार अपीलार्थिया को भविष्य में होने वाली आय की क्षतिपूर्ति की गणना हेतु अपीलार्थिया की आयु को दृष्टिगत रखते हुए 14 का गुणक लगाया जाना अपेक्षित है। विद्वान अधिकरण द्वारा भी अपने निर्णय में 14 के गुणक का प्रयोग किया गया है, जो उचित है। तद्नुसार अपीलार्थिया को भविष्य में होने वाली आय की कुल क्षति 1,121 X 12 X 14 = 1,88,328/– रुपये होती है, जो अपीलार्थिया प्राप्त करने का अधिकारी है।

9. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थिया को शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में 25,000/– रूपये, पौष्टिक आहार की मद में 25,000/– रूपये, परिवहन व यातायात पर व्यय हुई राशि के मद में 25,000/– रूपये तथा इलाज पर खर्च हुई राशि (मेडिकल बिल्स) के मद में 73,292/– रूपये की राशि दिलवाई गई है, जिनमें कोई हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नहीं समझते हैं।

10. उपरोक्तानुसार अपीलार्थिया/क्लेमेंट श्रीमती भूरी देवी निम्न प्रकार से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने की अधिकारी हैं :–

क्रम सं.	शीर्ष/मद	इस निर्णय के तहत निर्धारित की गयी राशि
1.	भविष्य की आय की क्षति के मद में	1,88,328/– रुपये
2.	शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में	25,000/– रुपये
3.	इलाज पर खर्च हुई राशि के मद में	73,292/– रूपये
4.	अस्पताल आवागमन की मद में	25,000/– रूपये
5.	पौष्टिक आहार की मद में	25,000/– रूपये
6.	इस न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई क्षतिपूर्ति राशि	3,36,620/– रुपये
7.	विद्वान अधिकरण द्वारा दिलवाई गई क्षतिपूर्ति राशि	2,77,106/– रुपये
8.	बढ़ोतरी पश्चात क्षतिपूर्ति राशि में अंतर	59,514/– रुपये

11. तदनुसार यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्वान अधिकरण द्वारा पारित पंचाट, जिसके द्वारा अपीलार्थिया/क्लेमेंट को 2,77,106/– रूपये दिलवाये जाने का आदेश पारित किया गया है, के स्थान

पर 3,36,620/– रूपये का पंचाट पारित किया जाता है। उक्त राशि पर नियमानुसार आयकर कटौती की जावेगी। अपीलार्थिया द्वारा पूर्व में प्राप्त की गयी राशि को पंचाट राशि में से समायोजित किया जाकर शेष राशि अपीलार्थिया प्राप्त करने का अधिकारी पाया जाता हैं।

12. इस निर्णय द्वारा बढ़ाई गई क्षतिपूर्ति राशि पर याचिका दायर करने की तिथि से अपीलार्थिया, 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी हैं।

13. तदनुसार यह अपील निस्तारित की जाती है।

14. सभी लम्बित प्रार्थना–पत्रों को भी उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

(ASHUTOSH KUMAR),J

Badal /77s